FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District**: STATE VIG. BUREAU **PS**: SVB ROHTAK **Year**: 2013 **FIR No**: 34 **Date**: 15-10-13

2. **Act(s)**: **Secti on(s)**

(i) IPC 409/420/468/471/120-B,IPC,

(ii) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 13(1) d,PC ACT

(iii)

(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day**: Tuesday **Date From**: 15-10-2013 **Date To:** : 15-10-2013

Time Period: **Time From:** **Time To**: 01-00 P.M.

(b) **Information received at P.S: Date:** : 15-10-2013 **Time**: 01-25 P.M.

(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 09 **Time:** 01-25 P.M

4. **Type of Information: WRITTEN**

5. **Place of Occurrence:**

(a) Direction and Distance from P.S.: .East-South 40 km **Beat No**.:

(b) Address : SVB, unit Jhajjar

(c) In case, Outside the limit of the Police Station:

Name of P.S: SVB ROHTAK **District: Rohtak**

(a) **Complainant/Informant**: Sh. Sajjan Kumar DSP

(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

(d) **Occupation:**

(e) **Address: S.V.B Rohtak**

7. **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

1- Sh. R.P Garg M.E 2. Hemant Kumar J.E., 3. Shri Om Contractor 4. Shri Kapil Contractor the Ujala Co-operative Society 5. Shri Pawan Contractor 6.Sh. Suresh Kumar Sharma Contractor 7. Sh. Raj Rishi J.E./M.E. 8. Sh. Narbir Singh Contractor

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant:

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	**Property Type(Description)**	**Est. Value(Rs.)**	**Status**
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any

12. F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):

सेवा में, प्रबन्धक थाना,राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा,रोहतक मण्डल, रोहतक। श्री मान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 2 दिनांक 20–7–11 झज्जर हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 52/15/2011–1 चौकसी–ाा दिनांक 18–7–11 की अनुपालना में आसूचना रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर की गई थी, जिसकी जांच मेरे द्वारा अमल में लाई गई थी। जिसमे अन्य आरोपों के अतिरिक्त आरोप न0 2 में जांच के दौरान प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट से पाया गया कि सैयद से एस0डी0एम0 कोर्ट बहादुरगढ की सी0सी0 सडक के निर्माण कार्य में श्री आर0पी0 गर्ग नगर अभियन्ता व श्री हेमन्त कुमार कनिश्ठ अभियन्ता द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके श्री औम ठेकेदार के साथ आपसी मिली भगत करके निर्माण कार्य का फर्जी रिकार्ड तैयार करके इस निर्माण कार्य मे मिटटी भरत में 873.19 क्यूम कम मिटटी प्रयोग करके 1,14,388 रूपये व सीमेन्ट कंकरीट के निर्माण कार्य में 42.97 क्यूम कंकरीट कम प्रयोग करके 1,47,289 रूपये कुल 2,61,617 रूपये का ठेकेदार ऐजन्सी को अधिक भुगतान करके सरकार को नाजायज हानि पहुंचा कर इस रा ाी का गबन किया है। आरोप न0 3 की जांच के दौरान प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट से पाया गया कि ट्रक यूनियन मेला ग्राउण्ड, बहादुरगढ के साथ वाली गली के निर्माण कार्य मे श्री हेमन्त नगर अभियन्ता एवं कनिश्ठ अभियन्ता द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके श्री कपिल ठेकेदार दी उजाला को0–प्रेटिव सोसायटी के साथ आपसी मिली भगत करके निर्माण कार्य का फर्जी रिकार्ड तैयार करके 74.16 क्यूम कंकरीट कम प्रयोग करके 2,18,940 रूपये का ठेकेदार ऐजन्सी को अधिक भुगतान करके सरकारी को नाजायज हानि पहुंचा कर इस रा ाी का गबन किया है। आरोप न0 6 में जांच के दौरान प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट से पाया गया कि गली न0 6 मुनीश, संजय, राज कुमार व औमप्रका ा बहादुरगढ गली के निर्माण कार्य में श्री हेमन्त नगर अभियन्ता एवं कनिश्ठ अभियन्ता द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके श्री पवन कुमार ठेकेदार के साथ आपसी मिली भगत करके निर्माण कार्य का फर्जी रिकार्ड तैयार करके 55.92 क्यूम कंकरीट कम प्रयोग करके 1,56,119 रूपये व 679 बैंग सीमेन्ट कम प्रयोग करके 1,22,390 रूपये, कुल 2,78,509 रूपये का ठेकेदार ऐजन्सी को अधिक भुगतान करके सरकारी को नाजायज हानि पहुंचा कर इस रा ाी का गबन किया है। आरोप न0 7 में जांच के दौरान प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट से पाया गया कि वार्ड न0 13 प्रीत

विहार बहादुरगढ में सतबीर व महाबीर के मकान से अप्रोच गलियों के निर्माण कार्य में श्री हेमन्त नगर अभियन्ता एवं कनिश्ठ अभियन्ता द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके श्री सुरे ा भार्मा ठेकेदार श्री बाला जी को0 सोसायटी के साथ आपसी मिली भगत करके निर्माण कार्य का फर्जी रिकार्ड तैयार करके इस निर्माण कार्य में 19.48 क्यूम कंकरीट कम प्रयोग करके 53,135 रूपये का ठेकेदार ऐजन्सी को अधिक भुगतान करके सरकारी को नाजायज हानि पहुंचा कर इस रा ाी का गबन किया है। आरोप न0 8 में जांच के दौरान प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट से पाया गया कि वार्ड न0 13 प्रीत विहार बहादुरगढ में भगत जी, माया, कमल व बिल्लू ठेकेदार के मकान वाली गली के निर्माण कार्य में श्री हेमन्त नगर अभियन्ता एवं कनिश्ठ अभियन्ता द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके श्री पवन कुमार ठेकेदार के साथ आपसी मिली भगत करके निर्माण कार्य का फर्जी रिकार्ड तैयार करके इस निर्माण कार्य में 57.58 क्यूम कंकरीट कम प्रयोग करके 1,60,754 रूपये का ठेकेदार ऐजन्सी को अधिक भुगतान करके सरकारी को नाजायज हानि पहुंचा कर इस रा ाी का गबन किया है। आरोप न0 10 में जांच के दौरान प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट से पाया गया कि कम्यूनिटी सैन्टर आर्य नगर बहादुरगढ के सौन्दयकरण के निर्माण कार्य में श्री राजऋशि नगर अभियन्ता एवं कनिश्ठ अभियन्ता द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके निर्माण कार्य का फर्जी रिकार्ड तैयार करके इस निर्माण कार्य में 7 बैंक कम प्रयोग करके 1,750 रूपये सिढियों के निर्माण कार्य में 0.99 क्यूम कंकरीट कम प्रयोग करके 5263 रूपये, लैन्टर व प्रोजैक ान के निर्माण कार्य में 10.84 क्यूम ककंरीट कम प्रयोग करके 58,046 रूपये व 11,500 के सबमर्सीबल की झूठी खरीद दिखा कर कुल 76,559 की सरकार को नाजायज हानि पहुंचा कर इस रा ाी का गबन किया है। आरोप न0 13 में जांच के दौरान प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट से पाया गया कि चन्द्र वाटिका रोड से विद्या देवी, बृज लाल व सुभाश के घर वाली गली के निर्माण कार्य में श्री हेमन्त नगर अभियन्ता एवं कनिश्ठ अभियन्ता द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके श्री सुरे ा भार्मा ठेकेदार, बाला जी को0सोसायटी के साथ आपसी मिली भगत करके निर्माण कार्य का फर्जी रिकार्ड तैयार करके 219 बैग सीमेन्ट कम प्रयोग करके 39,475 रूपये का ठेकेदार ऐजन्सी को अधिक भुगतान करके सरकारी को नाजायज हानि पहुंचा कर इस रा ाी का गबन किया है। आरोप न0 15 में जांच के दौरान प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट से पाया गया कि वार्ड न0 13 प्रीत विहार कृश्णा, सुबे सिह, गुलाब सिहं व अ ोक के घर वाली गली के निर्माण कार्य में श्री राजऋशि नगर अभियन्ता एवं कनिश्ठ अभियन्ता द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके श्री नरवीर ठेकेदार के साथ आपसी मिली भगत करके निर्माण कार्य का फर्जी रिकार्ड तैयार करके 15.26 क्यूम कंकरीट कम प्रयोग करके 48,970 रूपये का ठेकेदार ऐजन्सी को अधिक भुगतान करके सरकारी को नाजायज हानि पहुंचा कर इस रा ाी का गबन किया है। जांच मे उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्व जुर्म जेरधारा 409/420/468/471/120–बी, भा0द0स0 व 13(1) डी0 पी0सी0एक्ट का होना पाया जाकर जांच रिपोर्ट महानिदे ाक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा के माध्यम से मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग को भेजी गई थी। अब मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 52/15/2001–1 चौकसी–ाा, दिनांक 9–9–13 अनुसार दोशियों के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने के आदे ा दिये है। अतः जांच के तथ्यों से श्री आर0पी0गर्ग नगर अभियन्ता, हेमन्त कुमार कनिश्ठ अभियन्ता/नगर

अभियन्ता, श्री औम ठेकेदार, श्री कपिल ठेकेदार दी उजाला को0 सोसायटी, श्री पवन कुमार ठेकेदार, श्री सुरे ा भार्मा ठेकेदार, श्री राजऋशि कनिश्ठ अभियन्ता/नगर अभियन्ता व श्री नरबीर सिह ठेकेदार के विरूद्व जुर्म जेरधारा 409/420/468/471/120–बी, भा0द0स0 व 13(1) डी0 पी0सी0एक्ट का होना पाया जाता है। अतः तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त मु0सि0 औमपाल न0 491 पानीपत सेवा मे प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त मुकदमा मे किसी अन्य व्यक्ति व अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व साक्ष्य प्राप्त हो तो उसे भी मुकदमा के अनुसंधान के दौरान देख लिया जाये। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके स्पे ाल रिपोर्ट निज्द ईलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जाये व मुकदमा हजा में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जाये। हस्ता अंग्रेजी सज्जन कुमार उप पुलिस अधीक्षक, 15–10–13 अजः रा0चौ0ब्यूरो, रोहतक, 1 पी0एम0, अज थानाः– उपरोक्त तहरीर हजा पर मुकदमा बाजुर्म दर्ज रजिस्टर करके नकल एफ0आई0आर0 तैयार की गई जो अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जावेगी। स्पे ाल रिपोर्ट सि0 रविन्द्र कुमार 2077/झज्जर द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब, झज्जर भेजी जा रही है। नकल मि ाल पुलिस मय असल मय जांच से सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड अफसरान बाला से अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करवा कर आगामी तफती ा हेतू हवाले की जायेगी।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation **OR**

(ii) Directed(Name of the I.O Hari Parkash

Rank: Insp.

No.: 31/HAP **to take up the investigation,OR**

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S.(name):

On point of jurisdiction: **District:**

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression **Signature of Officer**

Of The Complainant/Informant: **Name** Ram Bhaj

Rank: Insp. No. 179/RR

15 Date and Time of despatch to the court: बदस्त सि0 रविन्द्र कुमार 2077/झज्जर